राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2019–20 / 5288 दिनांक : 30/8/19

दिशा–निर्देश

(सत्र 2019–20)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु परिवहन भत्ता (Transport Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य–

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्द्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारें में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन द्वारा उन्हें चिकित्सकीय, कियात्मक, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन प्रदान कर उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु परिवहन भत्ता देय होता है।

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत परिवहन भत्ते हेतु अप्रेजल उपरान्त राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत **21713** विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु **868.520** लाख रू का प्रावधान है। **सत्र 2019–20 में भी गत वर्ष 2018–19 के अनुसार ही** निम्नानुसार परिवहन भत्ता उपलब्ध कराया जाना है:–

परिवहन भत्ता (Transport Allowance) -

- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित **21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता।**
  - ✓ Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.

  उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है।

* पात्रता :–

  - Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक–बालिकाएं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
  - अवधि :– 10 माह के लिए
  - राशि :– अधिकतम ₹ 400/–प्रति माह

परिवहन भत्ता हेतु बच्चों का चयन –

* परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2019 में जिले के समस्त ब्लॉक के पीईईओ/सीबीईओ के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
* प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	समावेशित शिक्षा प्रभारी	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य

* उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बच्चों का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
* समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु 5 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
अगस्त 2019	जुलाई, अगस्त, सितम्बर अक्टूबर, नवम्बर (5 माह)
नवम्बर, 2019	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (5 माह)

* एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य

किसी योजना से जिन बालक–बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन बच्चों को यह राशि देय नहीं होगी।

- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशित शिक्षा की उपमद "Transportation Allowance "** आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्,, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभिन्न विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सके।**
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु ***Re-appropriation*** के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएंगे।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र CWSN बालक–बालिकाओ के जीरो बैलेंस खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक–बालिकाओं के **बैंक खाते में** परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- बालक–बालिकाओं/अभिभावकों की मांग पर एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एक ही रास्ते से आने वाले बच्चों के लिए स्थानीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।

- सामूहिक परिवहन व्यवस्था मितव्यता के साथ की जावें जिससे कि अधिकाधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके।
- सामूहिक परिवहन व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान बच्चों के अभिभावकों द्वारा ही किया जायेगा।
- परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक–बालिकाओं के चयन व परिवहन व्यवस्था के आदेश के साथ ही एसएमसी/एसडीएमसी को देनी होगी।
- समस्त व्यवस्था पात्र बालक–बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी को सूचना देकर पारदर्शी तरीके से कराई जायेगी।
- **पात्र CWSN बालक–बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक–बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला आप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**

(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19–20/5288 दिनांक : 30/8/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

29/8/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका..
2. पिता का नाम..
3. जन्म तिथि.................................कक्षा..
4. स्थानीय पता..
5. एस.आर. न0..दोष का प्रकार एवं प्रतिशत..............................
6. नोडल / पीईईओ...ब्लॉक...
7. विद्यालय...डाईस कोड़..
8. घर से विद्यालय की दूरी..
9. आधार कार्ड नम्बर...
10. खाता संख्या...IFSC Code..................................
11. बैंक का नाम...
12. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम..
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि...
15. क्या बालक–बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है ....

....

हस्ताक्षर अभिभावक **ह0 छात्र / छात्रा**

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक / बालिका.. उक्त विद्यालय की कक्षा.......................... में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक / बालिका को परिवहन भत्ते हेतु ₹......................... प्रतिमाह भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र / छात्रा.. पुत्र / पुत्री श्री...विद्यालय...को परिवहन भत्ता ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित..............

परिवहन भत्ता
जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

S.N.	Name of the district	Elementary-Transportation Allowance		Secondary-Transportation Allowance	
		PHY	FIN	PHY	FIN
1	AJMER	833	33.320	250	10.000
2	ALWAR	1004	40.160	200	8.000
3	BANSWARA	502	20.080	65	2.600
4	BARAN	297	11.880	38	1.520
5	BARMER	529	21.160	150	6.000
6	BHARATPUR	628	25.120	100	4.000
7	BHILWARA	1047	41.880	80	3.200
8	BIKANER	483	19.320	65	2.600
9	BUNDI	378	15.120	75	3.000
10	CHITTAURGARH	453	18.120	60	2.400
11	CHURU	542	21.680	110	4.400
12	DAUSA	603	24.120	100	4.000
13	DHAULPUR	294	11.760	60	2.400
14	DUNGARPUR	353	14.120	120	4.800
15	GANGANAGAR	802	32.080	150	6.000
16	HANUMANGARH	535	21.400	60	2.400
17	JAIPUR	1203	48.120	350	14.000
18	JAISALMER	266	10.640	50	2.000
19	JALOR	384	15.360	77	3.080
20	JHALAWAR	463	18.520	144	5.760
21	JHUNJHUNU	403	16.120	75	3.000
22	JODHPUR	453	18.120	100	4.000
23	KARAULI	604	24.160	25	1.000
24	KOTA	273	10.920	60	2.400
25	NAGAUR	904	36.160	194	7.760
26	PALI	468	18.720	56	2.240
27	PRATAPGARH	349	13.960	46	1.840
28	RAJSAMAND	653	26.120	80	3.200
29	SAWAI MADHOPUR	473	18.920	61	2.440
30	SIKAR	353	14.120	48	1.920
31	SIROHI	600	24.000	120	4.800
32	TONK	400	16.000	70	2.800
33	UDAIPUR	793	31.720	149	5.960
Total		**18325**	**733.00**	**3388**	**135.520**